क्रम-संख्या—144

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 31 अगस्त, 2020

भाद्रपद 9, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1561 / 79-वि-1—20-1(क)-18-20

लखनऊ, 31 अगस्त, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 जिससे वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 28 अगस्त, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2020

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2020)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 11 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1950 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 4, में उपधारा (13) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :–

"(14) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार, राज्य की संचित निधि से छः सौ करोड़ रुपये की और धनराशि निकालेगी और उसे उक्त निधि में जमा कर देगी।"

निरसन और व्यावृत्ति

3–(1) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान् समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में और तद्निमित्त उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 द्वारा "उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि" स्थापित की गयी है और समग्र आकस्मिकता निधि की सीमा उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1990 द्वारा बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये कर दी गयी है। विगत वर्षों में राज्य के बजट के आकार में वृद्धि करने तथा कोविड–19 महामारी से लड़ने हेतु अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था करने पर विचार करते हुये समग्र उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि को 600 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,200 करोड़ रुपये करने का विनिश्चय किया गया था। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 अप्रैल, 2020 को उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 1561(2)/LXXIX-V-1–20-1(ka)-18-20
Dated Lucknow, August 31, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Aakasmikta Nidhi (Sansodhan) Adhiniyam, 2020 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 2020) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 28, 2020. The Vitta (Aay-Vyayak) Anubhag-2, is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 2020

(U.P. Act No. 15 OF 2020)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy First Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force on April 11, 2020.

Amendment of section 4 of U.P. Act no. XIX of 1950

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950 *after* sub-section (13), the following sub-section shall be *inserted,* namely:—

"(14) The State Government shall on the commencement of the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 2020 withdraw a further sum of six hundred crore of rupees out of the Consolidated Fund of the State and place the same to the credit of the fund."

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 6 of 2020

3. (1) The Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 2020 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The 'Uttar Pradesh Contingency Fund' has been established in and for the State of Uttar Pradesh by the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950 and the limit of corpus of the Contingency Fund has been increased to Rs. 600 crore by the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1990. Considering the increase in the State's budget size over the years and to arrange extra funds to fight COVID-19 pandemic, it was decided to increase the corpus of the Uttar Pradesh Contingency Fund from Rs. 600 crore to Rs. 1200 crore. In view of the above, it was decided to amend the aforesaid Act.

Since the State legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 2020 (U.P. Ordinance no. 6 of 2020) was promulgated by the Governor on April 11, 2020.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 197 राजपत्र–2020–(576)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 155 सा0 विधायी–2020–(577)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

197 RPH 2020 (Adhiniyam) data-4e